कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी

E.Mail. dfouttarkashifd@gmail.com Fax No-01374222964 Tel.No- 01374222444

पत्रांक- 1472 / 12-1 , कोटबंगला दिनांक 04 / 12 /2018

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड,
जोशियाड़ा, उत्तरकाशी।

विषय :- जनपद उत्तरकाशी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत महिडाण्डा मोटर मार्ग से बग्यालगांव मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.731 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- अपर सचिव उत्ताराखण्ड शासन का पत्रांक- 201 / X-4-18 / 1(108) / 2017, दिनांक 09.04.2018 तथा आपका पत्रांक- 1744 / पी.एम.जी.एस.वाई. / सिं.ख. / निरी.भ.आं., दिनांक 16.11.2018 ।

महोदय,

भारत सरकार वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा विषयगत परियोजना की निर्माण हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। शासनादेश में उल्लिखित शर्त सं0-1 के अनुसार मार्ग के रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित् वृक्षारोपण हेतु प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड के पत्र सं0-972 / 3-5-2 दिनांक 21.11.2018 में उल्लिखित निर्धारित दर के अनुसार वर्ष 2018-19 के लिए निर्धारित धनराशि तथा शर्त सं0-2 के अनुसार एन0पी0वी0 के निर्धारित धनराशि का निम्नानुसार (Challan Generate) कर ऑनलाइन नोडल अधिकारी कार्यालय में जमा करने के उपरान्त जमा धनराशि की चालान सहित सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। इसके अतिरिक्त शासनादेश में उल्लिखित सभी शर्तो की अनुपालन आख्या भी इस कार्यालय को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

क्र0 सं0	मद	इकाई	दर	जमा की जाने वाली धनराशि
1	2	3	4	5
1	मार्ग के रिक्त पड़े स्थानो पर वृक्षारोपण हेतु।	30x10=300 वृक्ष	1100.00 रु0 प्रति वृक्ष	3,30,000.00
2	एन0पी0वी0	0.731 हे0	घनत्व-0.7 दर- 8,45,000.00	6,17,695.00

इसके अतिरिक्त आर0सी0सी0 पिल्लरों के निर्माण हेतु संलग्न प्राकल्लन के अनुसार निर्धारित धनराशि रु0 1,24,000.00 का बैंक ड्राफ्ट / चैक अधोहस्ताक्षरी के नाम बनाकर इस कार्यालय में जमा करने का कष्ट करें।

संलग्न :- प्राकल्लन की छायाप्रति।

भवदीय

प्रभागीय वनाधिकारी
उत्तरकाशी वन प्रभाग
उत्तरकाशी।

प्रतिलिपि :- अपर प्रमुख वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, वन संरक्षण भूमि सर्वेक्षण निदेशालय इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिलाधिकारी, उत्तरकाशी को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- वन क्षेत्राधिकारी, बाड़ाहाट वन राजि को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी
उत्तरकाशी वन प्रभाग
उत्तरकाशी।